अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) ने सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) अधिनियमित किया जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में नामित किया गया (अक्तूबर 2009)। यह अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे परिवार को कम से कम 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अनुसार, हरियाणा सरकार ने मार्च 2007 में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिसूचित की और सभी जिलों में कार्यान्वित की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, और साथ ही ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण विकास में योगदान दें। यह भारत सरकार और राज्य सरकार (90:10) के बीच लागत साझाकरण के आधार पर लागू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य सरकार कामगारों को मजदूरी के विलंबित भुगतान, बेरोजगारी भत्ते और राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) के प्रशासनिक व्ययों का कुल व्यय भी वहन करती है।

2.2 संगठनात्मक संरचना

विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना ***चार्ट 2.1*** में दी गई है।

चार्ट 2.1: मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना

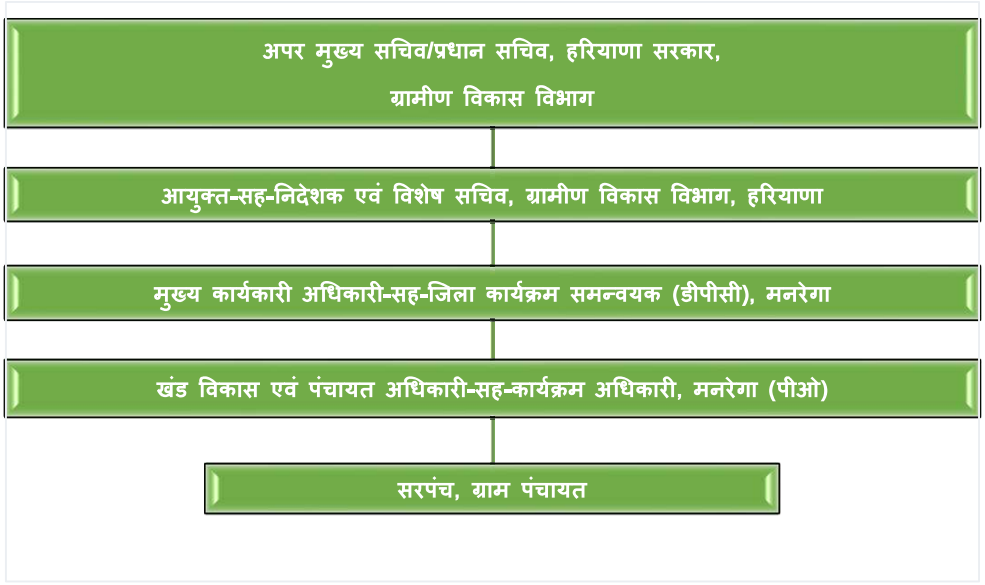

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- क्या योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार थी;
- क्या रोज़गार के अवसरों तक उचित पहुंच सुनिश्चित की गई, साथ ही पर्याप्त रोज़गार सृजित किया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा प्राप्त हुई;
- क्या अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों और विनियमों के अनुपालन में स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और रखरखाव किया गया था; तथा
- क्या अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए उचित एवं पर्याप्त निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान थी और सही तरीके से कार्य कर रही थी।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्नानुसार थे:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005, परिचालन दिशानिर्देश 2013, उनमें होने वाले संशोधन और अधिनियम के तहत जारी किए गए नियम;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र;
- हरियाणा राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है);
- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश, परिपत्र और निर्देश, दिशानिर्देश, आदि; तथा
- हरियाणा में यथा लागू पंजाब वित्तीय नियम और सामान्य वित्तीय नियम।

2.5 लेखापरीक्षा का दायरा और नमूनाकरण पद्धति

राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर अभिलेखों/दस्तावेजों की नमूना-जांच के माध्यम से 2019-20 से 2023-24 की अवधि को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। 22 जिलों में से पांच जिलों[1] (22.73 प्रतिशत) को स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग पद्धति का उपयोग करके लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। चयनित पांच जिलों में 10 ब्लॉक[2]

[1] (i) करनाल, (ii) मेवात, (iii) हिसार, (iv) महेंद्रगढ़ और (v) यमुनानगर।

[2] (i) इंद्री, (ii) असंध, (iii) नूंह, (iv) फिरोजपुर झिरका, (v) बिलासपुर, (vi) जगाधारी, (vii) बरवाला, (viii) नारनौंद, (ix) महेंद्रगढ़ और (x) कनीना (स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग विधि के माध्यम से प्रत्येक चयनित जिले से चुने गए दो ब्लॉक)।

और 40 ग्राम पंचायतों[3] को नमूना-जांच के लिए चुना गया था। चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से 280 कार्यों (प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे अधिक व्यय वाले सात कार्यों का चयन किया गया) को विभागीय प्रतिनिधियों के साथ विश्लेषण और संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चुना गया था। ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए रैंडम सैंपलिंग पद्धति के माध्यम से 400 लाभार्थियों[4] का चयन किया गया।

आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा सरकार के साथ एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी (22 जुलाई 2024), जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई। यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभिलेखों की जांच, प्रश्नावली, लेखापरीक्षा टिप्पणियों और जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तरों के आधार पर तैयार किया गया है। निदेशक एवं विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और विभाग के अधिकारियों के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई (26 सितंबर 2025), जिसके बाद 29 सितंबर 2025 को आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक हुई; विचार-विमर्श को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है। विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित थे (नवंबर 2025)।

2.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में ग्रामीण विकास विभाग, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायतों आदि द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7 जिला परिप्रेक्ष्य योजना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 15.3.1 और 15.3.1.1 यह प्रावधान करते हैं कि मनरेगा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण के कार्यान्वयन के लिए, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा एक जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डी.पी.पी.) तैयार की जानी चाहिए ताकि सभी सेक्टरों में जिले की आवश्यकताओं और कमियों की पहचान की जा सके। विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए इस बहु-वर्षीय योजना को ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में शामिल किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत मांग उत्पन्न होने पर प्रारंभ किए जा सकने वाले संभावित कार्यों की एक कार्य-सूची बनाए रखना भी अपेक्षित है।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि चयनित जिलों में जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी, जबकि अभिसरण कार्यों को कार्यों/परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया था।

---

[3] प्रतिस्थापन के बिना आकार के लिए आनुपातिक (पीपीएसडब्ल्यूओआर) विधि के माध्यम से प्रत्येक चयनित ब्लॉक से चार ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

[4] प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थियों का चयन किया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2025) बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी होने के बाद वर्ष 2018-19 तक जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार की गई थी और आश्वासन दिया कि भविष्य में भी जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार की जाएंगी।

2.8 विकास योजना तैयार न करना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 6.3 में यह प्रावधान है कि श्रम बजट के हिस्से के रूप में शामिल की जाने वाली परियोजनाएं स्थानीय विकास की एक एकीकृत योजना से सृजित होनी चाहिए, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेष रूप से सूक्ष्म जलागम आधार पर ध्यान केंद्रित किया गया हो, ताकि स्थायी आजीविका का सृजन हो सके। लोगों की आवश्यकताओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों जैसे कि मनरेगा श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों, लघु एवं सीमांत किसानों, जलागम समितियों और कृषि श्रमिकों के साथ परामर्श के माध्यम से की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सुझाए गए प्राथमिकता वाले कार्यों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध ग्राम सभा के प्रस्तावों और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतें केवल ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों को कार्यों की सूची प्रस्तुत कर रही थी। इस प्रकार, चयनित ग्राम पंचायतों में विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों की सूची तैयार करने में मनरेगा श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों, लघु एवं सीमांत किसानों, जलागम समितियों और कृषि श्रमिकों जैसे हितधारकों की भागीदारी को प्रमाणित करने वाले अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इन अभिलेखों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि नियोजित कार्यों की तैयारी प्रक्रिया में इन हितधारकों को शामिल किया गया था या नहीं।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया।

2.9 श्रम बजट

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 14(6) यह प्रावधान करती है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष एक श्रम बजट तैयार करना चाहिए, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर सहभागी नियोजन का अनुपालन करते हुए अकुशल कार्यों की अनुमानित मांग शामिल हो। ग्राम पंचायत कार्य प्रस्तावों की पहचान और प्राथमिकता तय करती है तथा उन्हें ब्लॉक वार्षिक योजना में समेकित करने के लिए ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को भेजती है, जो आगे वार्षिक योजना तैयार करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को श्रम बजट प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2019-24 के लिए 40 चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए श्रम बजट का विवरण, जिसे ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर समेकन के लिए ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था, ***तालिका 2.1*** में दिया गया है।

तालिका 2.1: श्रम बजट तैयार करने के विवरण

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		(संख्या में)				
1	श्रम बजट प्रस्तावित करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (40 ग्राम पंचायतों में से)	26	33	30	24	28
2	ग्राम पंचायतों द्वारा उनके श्रम बजट में प्रस्तावित कार्यों की संख्या (क्र.सं. 1 की तुलना में विवरण)	425	658	526	397	410
3	क्र.सं. 2 में उल्लिखित प्रस्तावित कार्यों की तुलना में ब्लॉकों द्वारा श्रम बजट में शामिल किए गए कार्यों की संख्या	380	856	652	382	475
4	प्रस्ताव नहीं भेजने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (40 ग्राम पंचायतों में से)	14	7	10	16	12
5	श्रम बजट नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के ब्लॉक स्तर पर शामिल किए गए कार्य (क्र.सं. 4) (ग्राम पंचायतों की संख्या)	14	5	10	8	12
6	प्रस्ताव नहीं भेजने वाली ग्राम पंचायतों के ब्लॉक स्तर पर शामिल किए गए कार्यों की संख्या (क्र.सं. 4 की तुलना में विवरण)	257	427	63	94	279

स्रोत: ब्लॉक/ग्राम पंचायतों से प्राप्त डेटा

चयनित ग्राम पंचायतों के उपर्युक्त डेटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि:

- 24 से 33 ग्राम पंचायतों ने श्रम बजट के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जबकि सात से 16 ग्राम पंचायतों ने 2019-2024 की अवधि के दौरान अपने श्रम बजट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए ***(परिशिष्ट 2.1)***।
- 5 से 14 ग्राम पंचायतों ने इसी अवधि के दौरान श्रम बजट के माध्यम से कार्यों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए। इसके बावजूद, ग्राम पंचायतों की किसी भी भागीदारी के बिना ब्लॉक स्तर पर श्रम बजट में 63 से 427 कार्यों को शामिल किया गया था ***(परिशिष्ट 2.1)***।
- ग्राम पंचायतों ने 397 से 658 कार्यों को शामिल करके अपने श्रम बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जबकि ब्लॉक स्तर पर समेकन के पश्चात, 2019-24 के दौरान 380 से 856 कार्यों को दर्शाया गया था। कार्यों की संख्या में यह परिवर्तन संबंधित ग्राम पंचायतों की भागीदारी के बिना किया गया था, जबकि पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत अपेक्षित था ***(परिशिष्ट 2.1)***।
- मेवात जिले ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान अपने श्रम बजट को भारत सरकार द्वारा अंतिम[5] रूप दिए जाने के पश्चात अग्रेषित/पूर्ण[6] किया। भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर के लिए अनुमोदित किए जाने के पश्चात जिला स्तर पर श्रम बजट को अंतिम रूप देने से श्रम बजट तैयार करने का उद्देश्य विफल हो गया।

यह पाया गया कि श्रम बजट में कार्यों को जोड़ने और हटाने का कार्य ब्लॉक स्तर पर किया गया था, जबकि संबंधित ग्राम पंचायतों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने पूर्वोक्त दिशा-निर्देशों में परिकल्पित बॉटम-अप सहभागी नियोजन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप मानव दिवस के सृजन में भिन्नता आई, जैसा कि अनुच्छेद 2.15 के तहत चर्चा की गई।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए (सितंबर 2025) बताया कि योजना चरण के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि श्रम बजट में शामिल सूची में से कितने कार्यों को शामिल

[5] 2 मार्च 2021, 21 मार्च 2022 और 7 मार्च 2023

[6] 2 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023

किया जाएगा और विलंब से श्रम बजट प्रस्तुत करने वाले जिलों के लिए भारत सरकार से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रम बजट का मूल्यांकन/निर्धारण योजना चरण के दौरान ही ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर की भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि मांग का सटीक आकलन किया जा सके।

2.10 राज्य सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार न करना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 5.4.2 यह निर्धारित करता है कि सभी राज्यों को मनरेगा पर सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना विकसित करनी चाहिए, इसका महत्वपूर्ण कार्य पंजीकृत श्रमिकों के साथ-साथ उन अन्य समूहों तक पहुंच बनाना होना चाहिए जो मनरेगा से लाभान्वित हो सकते हैं। सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना में स्पष्ट रूप से राज्य, जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर की गतिविधियों का उल्लेख होना चाहिए। जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी राज्य सरकारें विभिन्न हितधारकों तक मनरेगा के मुख्य संदेशों और प्रमुख प्रावधानों को पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए गहन और नियमित सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान चलाएंगी। विशेष रूप से पलायन संभावित क्षेत्रों में, पलायन के महीनों से पहले और उस दौरान अधिक गहन अभियान चलाए जाए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कोई सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार नहीं की गई थी, यद्यपि 2019-24 के दौरान नमूना जांचे गए जिलों में कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की गई थी। तथापि, 2019-24 के दौरान जिला और ब्लॉक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर ₹ 454.12 लाख की राशि व्यय की गई। यद्यपि चयनित जिलों में वाल पेंटिंग, पम्फलेटों की छपाई और जॉब कार्ड जैसी कुछ गतिविधियां आयोजित की गई थी, फिर भी इन जिलों द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के निष्पादन के लिए कोई संगठित या व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए।

इस तथ्य की पुष्टि लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणामों से भी हुई, जिसमें पाया गया कि 172 (43 प्रतिशत) लाभार्थी श्रम के अधिकार के बारे में जागरूक नहीं थे। 195 (49 प्रतिशत) लाभार्थी श्रम भुगतान की समय सीमा से अनभिज्ञ थे। 122 (31 प्रतिशत) लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान की जानकारी नही थी और 207 (52 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि ग्राम सभा की बैठकों में उनके साथ कार्यों के चयन पर चर्चा नहीं की गई थी।

इस प्रकार, सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अपर्याप्त निष्पादन और सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना के अभाव के कारण, लाभार्थी योजना के लाभों से अनभिज्ञ रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने (सितंबर 2025) बताया कि इस संबंध में रोजगार दिवस का आयोजन, जॉब कार्ड अद्यतन/सत्यापन शिविर, वाल पेंटिंग, सूचना प्रदर्शन बोर्ड, सफलता की कहानियां, मनरेगा कार्यों के चित्रों/वीडियो का संग्रह, जागरूकता शिविर और प्रिंट विज्ञापन जैसी कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

2.11 रोजगार दिवस का आयोजन

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.3 (i) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को महीने में कम से कम एक बार रोजगार दिवस आयोजित करना चाहिए। इस

अवसर पर, ग्राम पंचायत को संभावित श्रमिकों से वर्तमान के साथ-साथ आगामी तिमाहियों के कार्य के लिए आवेदन सक्रिय रूप से आमंत्रित करने चाहिए।

'रोजगार गारंटी दिवस' को विशेष रूप से कार्य के आवेदनों की प्रोसेसिंग और संबंधित गतिविधियों जैसे सूचना के प्रकटीकरण, कार्य के आवंटन, मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित रोजगार दिवस की स्थिति ***तालिका 2.2*** में दी गई है।

तालिका 2.2: चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित 'रोजगार दिवस' की स्थिति

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	आयोजित किए जाने वाले रोजगार दिवस	आयोजित किए गए रोजगार दिवसों की संख्या	रोजगार दिवसों के आयोजन में कमी	कमी प्रतिशतता
2019-20	40	480	155	325	68
2020-21	40	480	162	318	66
2021-22	40	480	192	288	60
2022-23	40	480	176	304	64
2023-24	40	480	151	329	69
कुल	**200**	**2,400**	**836**	**1,564**	**65**

स्रोत: ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित डेटा

यह भी पाया गया कि चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से, चार ब्लॉकों[7] की आठ ग्राम पंचायतों[8] में वर्ष 2020-21 के दौरान एक भी रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान फिरोजपुर झिरका ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों[9] द्वारा कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया। कुल मिलाकर, सभी चयनित ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवसों के आयोजन में 18 प्रतिशत से 83 प्रतिशत के मध्य कमी पाई गई ***(परिशिष्ट 2.2)***। चयनित ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के आयोजन न करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितंबर 2025) कि रोजगार दिवस नियमित अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है, हालांकि, अब इसे ग्राम पंचायत स्तर पर महीने में एक बार आयोजित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.12 वित्तपोषण का स्वरूप

मनरेगा एक मांग-आधारित श्रम रोजगार कार्यक्रम है। निधियों के केंद्रीय हिस्से की निकासी (केंद्र और राज्य सरकार के बीच) सहमत श्रम बजट में दर्शाई गई श्रम मांग के अनुमानों पर आधारित होती है।

मनरेगा के तहत निधियों का केंद्रीय हिस्सा सामान्यतः दो किस्तों में जारी किया जाता है। जहां केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त (अग्रिम राशि सहित) की निकासी, वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत श्रम बजट के अनुसार आनुपातिक निधि आवश्यकता पर आधारित होती है, जो पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित कुल निधि के अधिकतम

[7] (i) बरवाला, (ii) नारनौंद, (iii) महेंद्रगढ़ और (iv) कनीना।

[8] (i) जेवरा, (ii) बधवाड़ (बरवाला), (iii) कापड़ो, (iv) राखी शाहपुर (नारनौंद), (v) छाजियावास (महेन्द्रगढ़), (vi) पोटा, (vii) गहेरा (कनीना) और (viii) खुडाना।

[9] (i) बसई मेव, (ii) हसनपुर बिलोंडा, (iii) सकरास और (iv) लुहिंगा खुर्द (फिरोजपुर झिरका)।

50 प्रतिशत के अधीन है। आगे, दूसरी किस्त की अगली निकासी, वर्ष के दौरान अव्ययित शेष और सहमत श्रम बजट की तुलना में वास्तविक निष्पादन पर आधारित होती है।

योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य के बीच निधि साझाकरण अनुपात का विवरण ***तालिका 2.3*** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्तपोषण का स्वरूप

घटक का विवरण	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा
अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	100 प्रतिशत	-
कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
सामग्री की लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में विलंब के लिए मुआवजा	-	100 प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	100 प्रतिशत[10]	राज्य रोजगार गारंटी परिषद का व्यय

स्रोत: मनरेगा अधिनियम, 2005

निधियों का केंद्रीय हिस्सा संबंधित राज्य के जिलों/पंचायतों/कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को आगे आवंटन के लिए राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) को जारी किया जाता है। राज्य रोजगार गारंटी निधि का विस्तार और प्रबंधन मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निधि गवर्नेंस नियमों के तहत किया जाता है।

2.12.1 मनरेगा हेतु निधियों का निर्गमन

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति पत्र के पैरा 2 में यह प्रावधान निर्धारित करता है कि राज्य सरकार को कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए इन निधियों की प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर राज्य के हिस्से के साथ निधियां राज्य रोजगार गारंटी निधि में अंतरित करनी चाहिए (2019-21 के दौरान)। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-24 के दौरान अंतरित निधियों के लिए, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय हिस्से के प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्से और उसके अनुरूप राज्य हिस्से को राज्य नोडल खाते (एस.एन.ए.) में जारी करना अनिवार्य था।

वर्ष 2019-2024 के दौरान जारी की गई निधियां और उनकी तुलना में किए गए व्यय का विवरण ***तालिका 2.4*** में दिया गया है।

तालिका 2.4: जारी की गई निधियां और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जारी की गई निधियां				कुल जारी निधियां	विविध प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय				कुल व्यय	सरकार को वापस किया गया ब्याज	अंतिम शेष
		सामग्री		श्रम	प्रशासन				सामग्री		श्रम	प्रशासन			
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा						केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2019-20	35.70	95.55	30.22	242.71	0.00	368.48	0.61	404.79	83.05	27.68	242.71	11.59	365.03	0.00	39.76
2020-21	39.76	162.67	54.22	603.08	0.00	819.97	0.85	860.58	180.57	60.18	603.08	13.26	857.09	0.00	3.49
2021-22	3.49	231.06	77.02	464.75	34.52	807.35	1.01	811.85	181.79	60.60	464.75	11.37	718.51	0.83	92.51
2022-23	92.51	67.63	22.54	310.40	0.00	400.57	0.90	493.98	114.43	38.14	310.40	14.22	477.19	1.03	15.76
2023-24	15.76	114.34	38.11	363.31	4.60	520.36	1.34	537.46	116.59	38.86	363.31	17.33	536.09	0.75	0.62
कुल		**671.25**	**222.11**	**1,984.25**	**39.12**	**2,916.73**	**4.71**	**2,921.44**	**676.43**	**225.46**	**1,984.25**	**67.77**	**2,953.91**	**2.61**	

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग निदेशालय

[10] प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का छः प्रतिशत तक हो सकता है, जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा पर होने वाला 0.5 प्रतिशत तक का व्यय भी शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- कोविड-19 महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान श्रम बजट में वृद्धि हुई थी, कोई विशेष कारण अभिलेख में नहीं था।
- राज्य सरकार ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2019-24 के दौरान लिए राज्य रोजगार गारंटी निधि/राज्य नोडल खाते में निधियां (सामग्री मद में ₹ 671.25 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 222.11 करोड़ का राज्य हिस्सा) एक से 131 दिनों के विलंब के साथ अंतरित की, जिसमें औसत विलंब 50 दिनों का रहा ***(परिशिष्ट 2.3)***।

एग्जिट मीटिंग में, विभाग ने स्वीकार किया (सितंबर 2025) कि यह विलंब वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी करने के कारण हुआ था और इस मामले को विभाग के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

2.13 मजदूरी के भुगतान में असामान्य विलंब

मनरेगा, 2005 की संशोधित अनुसूची II के अनुच्छेद 29 के निबंधनों और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ.19 (ई) जनवरी 2014 के अनुसार, भुगतान में विलंब के लिए मुआवजा प्रणाली स्थापित करने की एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रणाली के अनुसार, मनरेगा श्रमिक मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के पश्चात हुए विलंब के लिए प्रतिदिन अदत्त मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं। विलंब मुआवजे के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिकों से की जानी है।

चयनित 40 ग्राम पंचायतों के चयनित 280 कार्यों के मस्टर रोल की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 34 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 120 कार्यों से संबंधित 794 मस्टर रोल के लिए ₹ 2.69 करोड़ की मजदूरी का भुगतान, निर्धारित समय की तुलना में एक से 552 दिनों के विलंब से किया गया था ***(तालिका 2.5)***। इन मामलों के संबंध में, मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे के भुगतान से संबंधित कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।

तालिका 2.5: वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में मजदूरी के विलंबित भुगतान का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	मस्टर रोल की संख्या	कार्यों की संख्या	कार्य की अवधि	राशि (₹ लाख में)	दिनों में विलंब की सीमा
	करनाल (ब्लॉक इंद्री)					
1	बियाना	6	2	08 मार्च 2022 से 05 जनवरी 2024 तक	1.77	34-325
2	धनो खेड़ी	14	3	06 जनवरी 2021 से 20 दिसंबर 2023 तक	3.81	32-115
3	खानपुर	28	3	11 मार्च 2022 से 17 जनवरी 2024 तक	6.75	30-263
4	मुसेपुर	19	3	06 सितंबर 2019 से 23 फरवरी 2020 तक	4.99	21-417
	करनाल (ब्लॉक असंध)					
5	अरडाना	23	3	30 अक्तूबर 2019 से 29 दिसंबर 2023 तक	3.40	20-49
6	कोलखेड़ा	33	3	21 सितंबर 2020 से 23 मार्च 2024 तक	6.85	18-111
7	पढाना	12	2	13 सितंबर 2019 से 05 फरवरी 2021 तक	2.97	14-339
8	सालवन	98	3	20 अगस्त 2022 से 21 मार्च 2024 तक	32.10	23-126
	मेवात (ब्लॉक नूंह)					
9	बझेड़ा	15	3	17 सितंबर 2019 से 05 जनवरी 2024 तक	8.16	3-49
10	बरोजी	24	7	16 दिसंबर 2019 से 17 जनवरी 2024 तक	14.93	8-60
11	दिहाना	9	4	13 फरवरी 2020 से 29 फरवरी 2024 तक	14.54	4-45
12	तांई	6	3	04 नवंबर 2019 से 19 अक्तूबर 2023 तक	4.15	10-52
	मेवात (ब्लॉक फिरोजपुर झिरका)					
13	बसई मेव	10	4	09 सितंबर 2019 से 24 दिसंबर 2020 तक	9.68	2-148

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	मस्टर रोल की संख्या	कार्यों की संख्या	कार्य की अवधि	राशि (₹ लाख में)	दिनों में विलंब की सीमा
14	हसनपुर बिलोंडा	13	5	27 फरवरी 2020 से 12 सितंबर 2024 तक	13.60	2-61
15	लुहिंगा खुर्द	8	6	22 नवंबर 2019 से 25 फरवरी 2021 तक	29.90	2-128
16	सकरास	5	3	24 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2022 तक	6.07	4-102
	यमुना नगर (ब्लॉक बिलासपुर)					
17	भवानीपुर	12	2	26 दिसंबर 2019 से 17 जुलाई 2021 तक	1.87	2-206
18	काठगढ़	69	8	25 सितंबर 2020 से 14 अगस्त 2023 तक	19.71	3-552
19	मंगलोर	20	4	12 सितंबर 2019 से 13 मार्च 2020 तक	4.49	9-89
20	सुल्तानपुर	11	2	21 जनवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक	2.01	4-54
	यमुना नगर (ब्लॉक जगाधरी)					
21	भोजपुर	10	2	07 अप्रैल 2022 से 09 मार्च 2023 तक	2.65	11-51
22	कैल	18	3	25 जुलाई 2018 से 15 मार्च 2024 तक	3.22	1-67
23	लापरा	52	7	18 सितंबर 2019 से 21 मार्च 2024 तक	16.91	2-122
24	रामपुर माजरा	15	5	21 जून 2019 से 19 अगस्त 2023 तक	4.46	4-45
	हिसार (ब्लॉक बरवाला)					
25	भानी बादशाहपुर	23	1	27 जुलाई 2023 से 04 अगस्त 2023 तक	4.34	81
26	जेवरा	83	6	30 दिसंबर 2020 से 01 फरवरी 2024 तक	13.79	36-89
27	कुंभा खेड़ा	35	6	19 जनवरी 2021 से 14 फरवरी 2024 तक	7.47	27-164
28	बधावड़	48	5	31 दिसंबर 2020 से 07 जून 2022 तक	10.46	10-201
	हिसार (ब्लॉक नारनौंद)					
29	खेड़ी लोचब	51	2	12 अगस्त 2022 से 12 दिसंबर 2023 तक	8.19	34-43
30	काप्रो	5	1	25 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक	0.45	241
31	मोथ रांगड़ान	24	2	22 मार्च 2023 से 13 सितंबर 2023 तक	1.48	28-42
32	राखी शाहपुर	8	2	22 अगस्त 2023 से 14 जनवरी 2024 तक	2.16	48-58
	महेंद्रगढ़ (ब्लॉक महेंद्रगढ़)					
33	खुडाना	4	2	08 नवंबर 2019 से 17 जनवरी 2021 तक	2.28	21-40
	महेंद्रगढ़ (ब्लॉक कनीना)					
34	गहेरा	4	3	18 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2022 तक	1.20	19-21
	कुल	**794**	**120**		**268.82**	**1-552**

विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान के लिए फील्ड पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

2.14 मनरेगा का कार्यान्वयन और रोजगार सृजन

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के साथ वर्ष भर आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के कार्यान्वयन और रोजगार सृजन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.14.1 परिवारों का पंजीकरण

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.1 (ii) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा हर वर्ष घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उन पात्र परिवारों की पहचान की जा सके जो छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुक हैं। मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.4 में यह प्रावधान है कि सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए परिवार के सभी विवरण पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.) अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (नरेगासॉफ्ट) में दर्ज किए जाएंगे।

नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी वर्ष 2019-24 के दौरान योजना के तहत पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों और उनके सापेक्ष पंजीकृत परिवारों के विवरण से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया था। इसके कारण, आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- चयनित जिलों में कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा वर्ष 2019-24 के दौरान कोई भी घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- चार ग्राम पंचायतों[11] से संबंधित 263 मामलों में, एक ही परिवार/व्यक्ति (एच.एच.) को दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे। इनमें से 37 जॉब कार्ड धारकों ने दोनों जॉब कार्डों पर कार्य प्राप्त किया था। दोहरे जॉब कार्डों का अस्तित्व एक ही कार्डधारक को एक साथ अनियमित भुगतान किए जाने के जोखिम को बढ़ाता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन 37 जॉब कार्ड धारकों को दूसरे जॉब कार्ड पर ₹ 3.51 लाख का भुगतान ***(परिशिष्ट 2.4)*** किया गया था।

प्राप्त आवेदनों के विवरण और जॉब कार्ड रजिस्टर जैसे बुनियादी अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा पंजीकरण प्रक्रिया की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में असमर्थ रही।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में आश्वासन दिया कि दो जॉब कार्ड वाले व्यक्तियों के मामलों में कार्रवाई शुरू की जाएगी।

2.14.2 जॉब कार्डों का जारी किया जाना और उनका अद्यतन

2.14.2.1 पंजीकरण और जॉब कार्ड के लिए अनिवार्य रजिस्टरों का रखरखाव

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.2 (i) में यह प्रावधान है कि ऐसा परिवार जिसके वयस्क सदस्य मनरेगा के तहत अकुशल रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा प्रचालन दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.5 (i) में यह प्रावधान है कि यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत, आवेदन प्राप्त होने के पखवाड़े (15 दिन) के भीतर उस परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 3.1.5 (xii) में यह स्पष्ट किया गया है कि जॉब कार्ड की सभी प्रविष्टियों को एक प्राधिकृत अधिकारी[12] के हस्ताक्षर के माध्यम से विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। मनरेगा प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 10.3.5 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव द्वारा जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर का रखरखाव किया जाना अनिवार्य है।

चयनित ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- नमूना-जांच के लिए चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से 20 में श्रमिकों के पंजीकरण हेतु आवेदन रजिस्टर और जॉब कार्ड रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। अतः, लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने में असमर्थ रही कि जिन लाभार्थियों ने पंजीकरण के

[11] (i) सकरास, (ii) हसनपुर बिलोंडा, (iii) बसई मेव और (iv) लुहिंगा खुर्द।

[12] सरपंच/पंचायत सचिव।

लिए आवेदन किया था, वे पंजीकृत हो पाए या नहीं; साथ ही, अधिदेश के अनुसार पखवाड़े की अवधि के भीतर जॉब कार्ड जारी करने की सत्यता की पुष्टि भी नहीं की जा सकी।

- इसके अतिरिक्त, किसी भी नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायत में जॉब कार्डों पर उपस्थिति दर्ज करना, किए गए भुगतानों का अद्यतन, लाभार्थियों द्वारा मांगे गए कार्य, तथा जॉब कार्ड व जॉब कार्ड रजिस्टर पर फोटोग्राफ चिपकाना नहीं पाया गया। यहां तक कि नमूना-जांच की गई सभी 40 ग्राम पंचायतों के मामले में नरेगासॉफ्ट पर भी जॉब कार्ड धारकों की फोटो पहचान उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2025) बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी अनिवार्य रजिस्टरों के रखरखाव और उन्हें अद्यतन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे और इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

2.14.2.2 जॉब कार्डों का अद्यतन

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.5 (xv एवं xvi) में यह प्रावधान है कि यदि किन्हीं भी कारणों से जॉब कार्ड को निरस्त किया जाना है, तो कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों के स्वतंत्र सत्यापन और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड निरस्त करने का निर्देश दे सकता है। निरस्त किए गए सभी जॉब कार्डों की सूची को सार्वजनिक किया जाएगा और इसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तदनुसार, इसे प्रबंधन सूचना प्रणाली में अद्यतित किया जाएगा और ग्राम पंचायत द्वारा नए जोड़े गए/हटाए गए नामों की सूची कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाएगी।

नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायत तांई (ब्लॉक-नूंह) में जॉब कार्डों के अद्यतन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक ही दिन, अर्थात् 14 दिसंबर 2022 को 'कार्य करने के इच्छुक नहीं' होने का कारण बताते हुए 951 जॉब कार्ड हटा दिए गए थे। इन हटाए गए जॉब कार्डों में से 285 जॉब कार्ड अप्रैल/मई 2020 में जोड़े गए/पंजीकृत किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, कार्य[13] के मस्टर रोल की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि हटाए गए 285 जॉब कार्डों में से 184 जॉब कार्ड धारक कार्य पर नियुक्त थे। यदि ये 184 जॉब कार्ड धारक वर्ष 2020-2022 के दौरान कार्य में लगे हुए थे, तो उन्हें हटाने के लिए दर्ज किया गया कारण 'कार्य करने के इच्छुक नहीं' सही प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि उक्त कार्य के मस्टर रोल पर न तो श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान पाए गए और न ही कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टर रोल पर हस्ताक्षर/प्रमाणन किया गया था।

इन श्रमिकों को हटाए जाने से संबंधित अभिलेख, जैसे पंजीकरण रजिस्टर, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वतंत्र सत्यापन और हटाए गए जॉब कार्डों की सूची, जो संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को भेजी गई थी, ग्राम पंचायत/ब्लॉक के अभिलेख में नहीं पाई गई। इस प्रकार, अपेक्षित अभिलेखों

[13] वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत-तांई, ब्लॉक-नूंह में पंचायत भूमि पर तालाब की खुदाई।

के अभाव में, लेखापरीक्षा एक ही दिन में 951 जॉब कार्डों को हटाए जाने की सत्यता/कारणों की पुष्टि नहीं कर सकी।

विभाग ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस में बताया (सितंबर 2025) कि जॉब कार्डों को हटाए जाने के संबंध में विस्तृत उत्तर/रिपोर्ट भेजी जाएगी।

हालांकि, 400 लाभार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 115 लाभार्थियों के पास भौतिक जॉब कार्ड नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 145 लाभार्थियों के जॉब कार्डों पर फोटोग्राफ लगे नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त, 31 लाभार्थियों के जॉब कार्डों पर संयुक्त फोटोग्राफ लगे हुए थे, 380 लाभार्थियों ने बताया कि पंजीकरण के लिए मौखिक अनुरोध स्वीकार किए गए थे, 328 लाभार्थियों ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरे वर्ष खुली थी; 137 लाभार्थियों ने बताया कि जॉब कार्ड में भुगतान प्रविष्टियों के संबंध में कोई विसंगति नहीं थी; 134 लाभार्थियों ने बताया कि जॉब कार्ड में किए गए कार्यों की प्रविष्टियों के संबंध में कोई विसंगति नहीं थी और 180 लाभार्थियों ने बताया कि जॉब कार्ड में हस्ताक्षर का कॉलम रिक्त था।

2.15 अनुमानित और प्राप्त मानव दिवस

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6.1.3 में यह प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिले की प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की सूची के अनुमोदन हेतु योजना की नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

राज्य में प्रस्तावित, अनुमोदित और वास्तविक रूप से सृजित मानव दिवसों का विवरण ***तालिका 2.6*** में दिया गया है।

तालिका 2.6: राज्य में प्रस्तावित, अनुमोदित और वास्तविक रूप से सृजित मानव दिवसों का विवरण

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	श्रम बजट में अनुमानित मानव दिवसों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानव दिवसों की संख्या	वास्तव में सृजित मानव दिवसों की संख्या	भारत सरकार द्वारा मानव दिवसों का संशोधित अनुमोदन	मानव दिवसों के अनुमोदन में कमी (-)/ अधिकता (+)	अनुमानित की तुलना में मानव दिवसों में कमी (-)/ अधिकता (+)	वास्तविक अनुमोदन की तुलना में मानव दिवसों के सृजन में कमी (-)/ अधिकता (+)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (2-4)	8 (4-3)
2019-20	119.26	100.00	91.19	-	(-) 8.81	(-) 28.07 (24)	(-) 8.81 (9.66)
2020-21	125.00	100.00	179.62	185.00	(+) 5.38	(+) 54.62 (44)	(+) 79.62 (44.32)
2021-22	125.00	100.00	146.39	141.00	(-) 5.39	(+) 21.39 (17)	(+) 46.39 (31.69)
2022-23	200.00	125.00	96.50	-	(-) 28.50	(-) 103.50 (52)	(-) 28.50 (29.53)
2023-24	126.77	100.00	123.20	120.00	(-) 3.20	(-) 3.57 (3)	(+) 23.20 (18.83)
कुल	**696.03**	**525.00**	**636.90**				

स्रोत: विभागीय डेटा

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20, 2022-23 और 2023-24 के दौरान श्रम बजट में अनुमानित मानव दिवसों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। हालांकि, कोविड-19 महामारी के वर्ष 2020-22 के दौरान, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानव दिवसों की तुलना में अधिक मानव दिवसों का सृजन पाया गया। अभिलेख में इस अतिरिक्त सृजन का कोई कारण नहीं पाया गया।

यद्यपि, श्रम बजट को संशोधित करने का प्रावधान विद्यमान था, किंतु वास्तव में सृजित मानव दिवसों के अनुसार संशोधित श्रम बजट का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। भारत सरकार ने 2020-21 (कोविड-19 महामारी के वर्ष) को छोड़कर, वर्ष 2021-22 और 2023-24 में मानव दिवसों में कटौती की। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वर्ष 2019-20 और 2022-23 के लिए मानव दिवसों के अतिरिक्त सृजन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था (दिसंबर 2024)।

इसी प्रकार, चयनित जिलों में वर्ष 2019-2024 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में 2.05 लाख से 21.07 लाख के बीच लक्ष्य प्राप्ति में कमी पाई गई, सिवाय हिसार के, जहां अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में 1.53 लाख अतिरिक्त मानव दिवसों का सृजन किया गया ***(परिशिष्ट 2.5)***।

इसके अतिरिक्त, सभी चयनित ब्लॉकों में मानव दिवसों का अतिरिक्त सृजन किया गया, सिवाय फिरोजपुर झिरका ब्लॉक, जहां वर्ष 2019-24 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में 2.92 लाख मानव दिवसों की कमी पाई गई ***(परिशिष्ट 2.6)***। इसके परिणामस्वरूप, श्रम बजट तैयार करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों की भागीदारी का अभाव रहा।

यह इस बात का संकेत था कि श्रम बजट ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तुत प्रस्तावों से तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि कार्यों की संख्या और उनकी प्रकृति में संशोधन ब्लॉक/जिला स्तर पर किए गए थे, जैसा कि अनुच्छेद 2.9 में चर्चा की गई।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों की पुष्टि की और बताया (सितंबर 2025) कि प्राप्त मानव दिवसों के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

2.16 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार

मनरेगा का अधिदेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा के तहत वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में प्रदान किए गए रोजगार की स्थिति ***तालिका 2.7*** में विस्तृत रूप से दी गई है।

तालिका 2.7: वर्ष 2019-24 के दौरान संपूर्ण राज्य में प्रदान किए गए रोजगार का विवरण

वर्ष	कार्य करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या				रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की प्रतिशतता			
		100 दिन	70 से <100 दिन	50 से <70 दिन	<50 दिन	100 दिन	70 से <100 दिन	50 से <70 दिन	<50 दिन
1	2	3	4	5	6	7 (3/2•100)	8 (4/2•100)	9 (5/2•100)	10 (6/2•100)
2019-20	2,57,793	4,831	35,295	28,073	1,89,594	2	14	11	74
2020-21	4,56,965	14,077	81,098	48,941	3,12,849	3	18	11	68
2021-22	4,03,747	11,041	52,402	44,927	2,95,377	3	13	11	73
2022-23	3,07,954	3,447	31,172	30,187	2,43,148	1	10	10	79
2023-24	3,66,501	2,557	45,753	40,601	2,77,590	1	12	11	76
कुल	**17,92,960**	**35,953**	**2,45,720**	**1,92,729**	**13,18,558**	**2**	**14**	**11**	**74**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

100 दिन या उससे अधिक का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों का अनुपात मात्र एक से तीन प्रतिशत था, जबकि 68 से 79 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से भी कम का रोजगार प्राप्त हुआ।

वर्ष 2019-24 के दौरान, चयनित ग्राम पंचायतों ने अपने श्रम बजट कार्यों की संख्या के संदर्भ में प्रस्तावित किए थे, किंतु श्रम/मानव दिवसों के उपयोग और सामग्री का आकलन न तो ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया और न ही ब्लॉक स्तर पर। इसके अतिरिक्त, इन ग्राम पंचायतों में मांग रजिस्टर या कार्य रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। इस प्रकार, उन व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित करना संभव नहीं था जिन्होंने कार्य की मांग की थी।

यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-2024 के दौरान 6.62 प्रतिशत से 32.14 प्रतिशत के मध्य ऐसी ग्राम पंचायतें थी, जिन्होंने रोजगार का एक भी मानव दिवस सृजित नहीं किया, जैसा कि ***तालिका 2.8*** में दिया गया है।

तालिका 2.8: राज्य में 'शून्य' मानव दिवस वाली ग्राम पंचायतों का विवरण

वर्ष	राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या	शून्य मानव दिवस वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रतिशतता
2019-20	6,331	2,035	32.14
2020-21	6,318	418	6.62
2021-22	6,256	460	7.35
2022-23	6,250	1,699	27.18
2023-24	6,242	1,260	20.18

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर आर 5.1.6 से संकलित डेटा

यह भी पाया गया कि चयनित जिलों की 1.84 प्रतिशत से 62.39 प्रतिशत के मध्य ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2019-2024 के दौरान एक भी मानव दिवस सृजित नहीं किया ***(परिशिष्ट 2.7)***। इस प्रकार, मांग रजिस्टर के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि रोजगार की मांग होने के बावजूद मानव दिवसों का सृजन किया गया था या नहीं।

विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और परिवारों की मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। मांग रजिस्टर की अनुपस्थिति में, विभाग का यह तर्क सत्यापन योग्य नहीं था।

2.17 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

मनरेगा की अनुसूची-I का अनुच्छेद 16 यह अधिदेश करता है कि मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर पैमाइश लिए जाने के बाद ही मजदूरी का भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 7.14.2 यह प्रावधान करता है कि साप्ताहिक मस्टर रोल और माप पुस्तिका में दर्ज पैमाइशों को नरेगासॉफ्ट में दर्ज करने के बाद ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान आदेश सृजित किए जा सकते हैं।

2.17.1 मजदूरी का भुगतान न करना

अभिलेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित ब्लॉकों[14] की चयनित ग्राम पंचायतों[15] में पांच कार्य निष्पादित किए गए थे। इन कार्यों में नौ मस्टर रोल के

[14] (i) फिरोजपुर झिरका, (ii) नूंह और (iii) जगाधरी।

[15] (i) हसनपुर बिलोंडा, (ii) लुहिंगा खुर्द, (iii) बझेरा, (iv) कैल और (v) लापरा।

माध्यम से 43 श्रमिकों को तैनात किया गया था और 527 मानव दिवस सृजित किए गए थे। हालांकि, भुगतान आदेश सृजित करने के लिए मस्टर रोल को प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण इन कार्यों में लगे श्रमिकों को ₹ 1.64 लाख की मजदूरी ***(परिशिष्ट 2.8)*** का भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, माप पुस्तिका में पैमाइश दर्ज की गई थी, किंतु श्रमिकों को संबंधित भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि उपर्युक्त लेनदेन के निधि अंतरण आदेश पुनः सृजित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, प्रबंधन सूचना प्रणाली में मस्टर रोल की प्रविष्टियां न होने और निधि अंतरण आदेशों के पुन: सृजन न होने के कारण, कार्यों के निष्पादन के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि संबंधित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) को मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.17.2 अकुशल श्रमिकों को किया गया अधिक भुगतान

चयनित ब्लॉकों[16] की दो ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से अकुशल श्रमिकों की उपस्थिति के संबंध में मैनुअल मस्टर रोल और ई-मस्टर रोल के बीच विसंगति ज्ञात हुई। मैनुअल मस्टर रोल पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी, जबकि भुगतान ई-मस्टर रोल के माध्यम से किया गया था। ***तालिका 2.9*** में दिए गए विवरण के अनुसार, 1,418 उपस्थितियों के लिए ₹ 4.45 लाख की मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया। यह भी पाया गया कि भौतिक मस्टर रोल पर अकुशल श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान दर्ज नहीं थे।

तालिका 2.9: अकुशल श्रमिकों को किए गए अधिक भुगतान का विवरण

क्र. सं.	मस्टर रोल संख्या	कार्य की अवधि	मस्टर रोल में कुल उपस्थिति			प्रतिदिन मजदूरी (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)
			भौतिक	एम.आई.एस.	आधिक्य		
1	107/109	25/26 सितंबर 2019 से 01 अक्तूबर 2019	420	490	70	284	19,880
2	1516	20 जनवरी 2022 से 26 जनवरी 2022	49	679	630	315	1,98,450
3	1517	-सम-	7	217	210	315	66,150
4	1526	27 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022	4	396	392	315	1,23,480
5	1527	-सम-	4	120	116	315	36,540
कुल			**484**	**1,902**	**1,418**		**4,44,500**

स्रोत: चयनित ग्राम पंचायतों के मस्टर रोल से संकलित आंकड़े

इस प्रकार, ऑनलाइन अपलोडिंग के दौरान ई-मस्टर रोल में वास्तविक उपस्थिति के बजाय अधिक उपस्थिति दर्ज की गई, जो भौतिक मस्टर रोल में दर्ज वास्तविक उपस्थिति को नहीं दर्शाती है।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि संबंधित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) को मजदूरी के अधिक भुगतान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

[16] फिरोजपुर झिरका (बसई मेव ग्राम पंचायत), (ii) नूंह (बरोजी ग्राम पंचायत)।

2.18 कार्यों के निष्पादन के लिए लक्ष्य की प्राप्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 7.17 में प्रावधान है कि अपूर्ण कार्यों के समाधान के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संचालन दिशानिर्देश 2013 का अनुच्छेद 7.17.4 यह प्रावधान करता है कि उन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को कोई स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, जहां कार्य प्रस्तावित वर्ष के बाद एक से अधिक वित्तीय वर्ष से अपूर्ण पड़े हैं।

वर्ष 2019-2024 के दौरान राज्य के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त योजना के अंतर्गत कार्यों की स्थिति ***तालिका 2.10*** में दी गई है।

तालिका 2.10: 2019-24 के दौरान राज्य में कार्यों का विवरण

वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (कुल कार्यों का प्रतिशत)	अनुमोदित कार्य किंतु प्रारंभ नहीं हुए (कुल कार्यों का प्रतिशत)	कुल कार्य	चालू/निलंबित कार्यों पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
	(कुल कार्यों के विरुद्ध प्रतिशत)				
1	2	3	4	5= (2+3+4)	6
2019-20	15,926 (26.17)	16,070 (26.41)	28,855 (47.42)	60,851	2,385.49
2020-21	21,460 (25.24)	27,223 (32.02)	36,328 (42.73)	85,011	9,341.72
2021-22	26,443 (29.26)	22,022 (24.36)	41,906 (46.37)	90,371	13,267.16
2022-23	8,791 (10.41)	27,811 (32.94)	47,834 (56.65)	84,436	12,384.60
2023-24	9,283 (8.79)	37,492 (35.50)	58,833 (55.71)	1,05,608	30,305.61
कुल	**81,903 (19.21)**	**1,30,618 (30.64)**	**2,13,756 (50.15)**	**4,26,277**	**67,684.58**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

सितंबर 2024 तक, ₹ 676.85 करोड़ का व्यय होने के बाद केवल 19.21 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुए और 30.64 प्रतिशत कार्य अपूर्ण या निलंबित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत कार्यों में से 50.15 प्रतिशत कार्य अभी तक प्रारंभ ही नहीं किए गए हैं।

इसी प्रकार, नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण/निलंबित और निष्पादित न किए गए कार्यों की स्थिति, जैसा कि सूचना प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त की गई है, ***तालिका 2.11*** में दी गई है।

तालिका 2.11: नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में कार्यों की स्थिति

वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	अनुमोदित कार्य किंतु प्रारंभ नहीं हुए (प्रतिशत)	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्यों पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5= (2+3+4)	6
2019-20	5,950 (22.07)	6,576 (24.39)	14,432 (53.54)	26,958	1,148.34
2020-21	8,320 (23.20)	10,407 (29.02)	17,130 (47.77)	35,857	5,806.07
2021-22	9,034 (24.50)	8,304 (22.52)	19,541 (52.99)	36,879	6,060.79
2022-23	3,247 (9.27)	9,266 (26.44)	22,531 (64.29)	35,044	4,192.36
2023-24	3,375 (7.92)	12,069 (28.34)	27,148 (63.74)	42,592	9,504.10
कुल	**29,926 (16.88)**	**46,622 (26.29)**	**1,00,782 (56.83)**	**1,77,330**	**26,717.66**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

नमूना-जांच किए गए जिलों में, सितंबर 2024 तक ₹ 267.18 करोड़ का व्यय होने के बाद केवल 16.88 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुए थे और 26.28 प्रतिशत कार्य अपूर्ण या निलंबित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, कुल कार्यों में से 56.83 प्रतिशत कार्य स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रारंभ नहीं किए गए हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच किए गए ब्लॉकों में स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण/निलंबित और निष्पादित न किए गए कार्यों की स्थिति ***तालिका 2.12*** में दी गई है।

तालिका 2.12: चयनित ब्लॉकों में कार्यों की स्थिति

वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	अनुमोदित कार्य किंतु प्रारंभ नहीं हुए (प्रतिशत)	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्यों पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5= (2+3+4)	6
2019-20	2,007 (26.71)	1,510 (20.09)	3,998 (53.20)	7,515	171.44
2020-21	2,635 (27.49)	2,112 (22.03)	4,839 (50.48)	9,586	359.49
2021-22	2,319 (23.82)	1,869 (19.20)	5,546 (56.98)	9,734	788.16
2022-23	921 (9.57)	2,268 (23.58)	6,431 (66.85)	9,620	1,260.31
2023-24	980 (8.35)	3,122 (26.61)	7,630 (64.04)	11,732	2,799.60
कुल	**8,862 (18.39)**	**10,881 (22.58)**	**28,444 (59.03)**	**48,187**	**5,379.00**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

कुल 48,187 कार्यों में से, सितंबर 2024 तक ₹ 53.79 करोड़ का व्यय होने के बाद केवल 8,862 कार्य (18.39 प्रतिशत) ही पूर्ण हुए थे और 10,881 कार्य (22.58 प्रतिशत) अपूर्ण/निलंबित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, 28,444 कार्य (कुल कार्यों का 59.03 प्रतिशत) स्वीकृति मिलने के बाद भी शुरू नहीं किए गए हैं ***(परिशिष्ट 2.9)***।

इस प्रकार, स्वीकृत कार्यों में से 50 प्रतिशत से अधिक कार्य प्रारंभ ही नहीं किए गए, जो कि कार्य-योजना और कार्यों की सूची के चयन में कमियों को दर्शाता है।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि कम मांग के कारण, लक्षित उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी और आश्वासन दिया कि अपूर्ण (छोड़े गए/निलंबित) पड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.19 अपूर्ण कार्य और कार्यों पर निष्फल व्यय

2.19.1 अपूर्ण कार्य

चयनित कार्य स्थलों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि सात[17] ग्राम पंचायतों में नौ कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रहे, इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-24 के दौरान किया गया ₹ 45.16 लाख का संपूर्ण व्यय निष्फल रहा, जैसा कि ***तालिका 2.13*** में विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि ये कार्य अभी भी प्रगति (दिसंबर 2024) पर थे।

[17] (i) कैल, (ii) लापरा, (iii) बयाना, (iv) अरदाना, (v) सालवन, (vi) दिहाना और (vii) बरोजी।

तालिका 2.13: नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में अपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक/ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	किया गया व्यय (₹ लाख में)
1	जगाधरी/कैल	सरकारी स्कूल से डेयरी तक नाले (प्रस्तावित) के साथ पंचायती भूमि में मिट्टी भराई का कार्य	1 अप्रैल 2021	24.76	4.09
2	जगाधरी/लापरा	पंचायती भूमि खसरा संख्या 12//1, 9//20/21 में मिट्टी भराई का कार्य	1 दिसंबर 2023	13.18	10.51
3	इंद्री/बियाना	बयाना (शमशान घाट) में पार्क का निर्माण	1 फरवरी 2022	3.37	0.27
4	इंद्री/बियाना	बस स्टैंड बयाना के पास तालाब का नवीनीकरण और रखरखाव (आर.पी. मटेरियल बिल्डिंग)	1 जून 2022	19.32	9.99
5	असंध/अरदाना	जे.एस.ए. अरदाना के तहत ऑक्सी वैन का निर्माण	31 दिसंबर 2021	9.30	3.34
6	असंध/सलवान	पंचायत भूमि सालवन में प्लॉट नंबर 9 या 10 में कृषि तालाब की खुदाई	18 मई 2023	30.37	5.78
7	नूंह/दिहाना	सरकारी मिडिल स्कूल में भूमि विकास कार्य (23858)	18 मई 2021	9.30	7.52
8	नूंह/बरोजी	पहाड़ के पास तालाब की खुदाई (23693)	4 अप्रैल 2022	24.78	1.05
9	नूंह/बरोजी	पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से शिवधाम तक मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम. रास्ता (16062)	30 जून 2020	9.82	2.61
	कुल			**144.20**	**45.16**

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि विस्तृत उत्तर जांच के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।

2.19.2 संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.1 के अनुसार, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना है। इस प्रकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनरेगा के तहत निर्मित की जा रही संपत्तियों की गुणवत्ता और उनके स्थायित्व को सुनिश्चित किया जाए।

कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) ग्राम पंचायत मुसेपुर, ब्लॉक इंद्री, जिला करनाल में दो स्थानों[18] पर पशु शेड के निर्माण कार्य हेतु (दिसंबर 2020) ₹ 1.14 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 1.14 लाख की स्वीकृत लागत के विरुद्ध, इन कार्यों पर ₹ 0.69 लाख[19] का व्यय किया गया और प्रबंधन सूचना प्रणाली में इसे (20 अप्रैल 2021) पूर्ण दर्शाया गया। हालांकि, भौतिक सत्यापन (अगस्त 2024) के दौरान यह पाया गया कि दोनों में से किसी भी स्थान पर पशु शेड विद्यमान नहीं था।

(ii) ग्राम पंचायत खानपुर, ब्लॉक इंद्री, जिला करनाल में हरिजन मोहल्ला में स्थित तालाब की मरम्मत और रखरखाव के कार्य हेतु (अप्रैल 2023) ₹ 9.02 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 2.98 लाख का व्यय करने के उपरांत इस कार्य को पूर्ण दर्शाया गया। प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, 15 अप्रैल 2024 को कार्य की स्थिति पूर्ण दर्शाई गई थी। कार्य स्थल के भौतिक सत्यापन (जुलाई 2024) के दौरान, तालाब की मरम्मत और रखरखाव का कोई भी कार्य किया हुआ नहीं पाया गया, जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ संख्या 2.1 (कार्य शुरू होने से पहले) और 2.2 (कार्य शुरू होने के बाद) में दर्शाया गया है:

[18] (i) सुरेश कुमार पुत्र श्री कीरू राम और (ii) जगपाल पुत्र श्री रेहतू राम।

[19] ₹ 0.69 लाख = ₹ 0.18 लाख + ₹ 0.51 लाख।

फोटोग्राफ संख्या 2.1: कार्य शुरू होने से पहले
स्रोत: भुवन मनरेगा पोर्टल पर जियो-टैगिंग

फोटोग्राफ संख्या 2.2: कार्य पूर्ण होने के पश्चात

(iii) ग्राम पंचायत बियाना, ब्लॉक इंद्री, जिला करनाल में पार्क निर्माण के कार्य हेतु (मार्च 2020) ₹ 21.76 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 16.66 लाख का व्यय करने के उपरांत कार्य पूर्ण कर लिया गया था। नरेगासॉफ्ट पर भी कार्य की स्थिति (11 जनवरी 2022) पूर्ण दर्शाई गई थी। स्थल के भौतिक सत्यापन (जुलाई 2024) के दौरान, यह पाया गया कि ग्रामीणों द्वारा पार्क का उपयोग गाय/भैंस के गोबर के उपलों के भंडारण के लिए किया जा रहा था (फोटोग्राफ 2.3)। परिणामस्वरूप, पार्क उपयोग में नहीं था और ₹ 16.66 लाख का व्यय निष्फल रहा।

फोटोग्राफ संख्या 2.3: ग्राम पंचायत बियाना में पार्क के निर्माण का कार्य

(iv) ग्राम पंचायत भोजपुर परवालो, ब्लॉक जगाधरी, जिला यमुनानगर में पंचायती भूमि पर भूमि समतलीकरण के कार्य हेतु (अक्तूबर 2020) ₹ 2.09 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। ₹ 2.01 लाख का व्यय करने के उपरांत यह कार्य पूर्ण कर लिया गया था। प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार (30 दिसंबर 2020) कार्य की स्थिति पूर्ण दर्शाई गई थी। कार्य स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान, वहां कोई भी भूमि समतलीकरण होता हुआ नहीं पाया गया, जैसा कि फोटोग्राफ संख्या 2.4 और 2.5 से स्पष्ट है। अतः, ₹ 2.01 लाख का यह व्यय व्यर्थ रहा।

फोटोग्राफ संख्या 2.4 और 2.5: ग्राम पंचायत भोजपुर परवालो में पंचायती भूमि पर भूमि समतलीकरण का कार्य

(v) ग्राम पंचायत भोजपुर परवालो, ब्लॉक जगाधरी, जिला यमुनानगर में व्यायामशाला के समीप, तालाब की गाद निकालने और खुदाई के कार्य हेतु (जुलाई 2022) पारंपरिक जल निकायों के जीर्णोद्धार की श्रेणी के अंतर्गत ₹ 7.95 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 7.48 लाख का व्यय करने के उपरांत यह कार्य (6 जुलाई 2023

फोटोग्राफ संख्या 2.6: ग्राम पंचायत भोजपुर में व्यायामशाला के समीप तालाब की गाद निकालने और खुदाई का कार्य

को) पूर्ण दर्शाया गया था। स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान, तालाब की गाद निकालने और खुदाई का कोई भी कार्य किया हुआ नहीं पाया गया और यह कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट सामग्री से भरा हुआ था (फोटोग्राफ 2.6)।

(vi) ग्राम पंचायत खूंभा खेड़ा, ब्लॉक बरवाला, जिला हिसार के स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 2 के निर्माण कार्य हेतु (नवंबर 2020) ग्रामीण अवसरंचना गतिविधि के अंतर्गत ₹ पांच लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। ₹ 2.54 लाख का व्यय करने के उपरांत नरेगासॉफ्ट में कार्य को पूर्ण दर्शाया गया है। स्थल के भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024) के दौरान, यह पाया गया कि कार्य को जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर तक निर्माण के उपरांत अपूर्ण छोड़ दिया गया (फोटोग्राफ 2.7)।

फोटोग्राफ संख्या 2.7: व्यायामशाला के पास तालाब की गाद निकालने और खुदाई का कार्य

(vii) ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, ब्लॉक बिलासपुर, जिला यमुनानगर में पंचायती भूमि (सढौरा रोड के समीप) पर मिट्टी भराई के कार्य हेतु (मई 2020) मनरेगा की भूमि विकास गतिविधि के अंतर्गत ₹ 9.99 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 9.35 लाख का व्यय करने के उपरांत नरेगासॉफ्ट में इस कार्य को पूर्ण (7 फरवरी 2023) दर्शाया गया था। स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि भूमि का स्तर अभी भी बहुत नीचा था, जिससे किया गया संपूर्ण व्यय निष्फल रहा (फोटोग्राफ 2.8)।

फोटोग्राफ संख्या 2.8: ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में पंचायती भूमि पर मिट्टी भराई का कार्य

(viii) ग्राम पंचायत मंगलोर, ब्लॉक बिलासपुर, जिला यमुनानगर में पंचायती भूमि पर हरिजन कॉलोनी के समीप मिट्टी भराई के कार्य हेतु (सितंबर 2019) मनरेगा की भूमि विकास गतिविधि के अंतर्गत ₹ 6.82 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 5.84 लाख का व्यय करने के उपरांत कार्य को पूर्ण (31 अक्तूबर 2020) दर्शाया गया था। कार्य स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि स्थल पर मिट्टी भराई का वास्तविक कार्य नहीं किया गया था, जैसा कि फोटोग्राफ 2.10 में दर्शाया गया है।

फोटोग्राफ संख्या 2.9: मिट्टी भराई का कार्य शुरू होने से पहले की साइट का फोटोग्राफ
स्रोत: भुवन मनरेगा पोर्टल पर जियो-टैगिंग

फोटोग्राफ संख्या 2.10: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान साइट का फोटोग्राफ

चयनित 280 कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 133 कार्यों (47.50 प्रतिशत) के संबंध में कोई सामग्री/स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा संबंधित कार्यों पर सामग्री की खपत का सत्यापन नहीं कर सकी।

उपर्युक्त कमियां यह दर्शाती हैं कि नमूना-जांच के मामलों में ₹ 47.55 लाख का व्यय करने के बावजूद, न तो लक्षित अवसरंचना का निर्माण हुआ और न ही स्थायी परिसंपत्तियां सृजित की गई।

विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि उचित जांच के उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जाएगा।

2.19.3 मनरेगा के तहत परिसंपत्तियों का सृजन न होने के कारण निष्फल व्यय

मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.1 के अनुसार, इस योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना है। तदनुसार, यह अनिवार्य है कि मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियां अच्छी गुणवत्ता वाली, स्थायी हों और एक उचित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएं।

लेखापरीक्षा ने नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा की संवीक्षा की और वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के लिए मेवात जिले के चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में चयनित 22 चालू कार्यों के वास्तविक निष्पादन की स्थिति का आकलन करने हेतु संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2025) किया ***(परिशिष्ट 2.10)***। इस दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं ज्ञात हुई:

(i) परिसंपत्तियों के निर्माण के बिना किया गया व्यय

सत्यापित किए गए 22 कार्यों में से तीन कार्य, सामग्री की खरीद पर ₹ 18.72 लाख का व्यय करने के बावजूद, स्थल पर निष्पादित नहीं पाए गए। इन कार्यों के विरुद्ध केवल 12 मानव दिवस सृजित किए गए, जो नगण्य श्रम भागीदारी को दर्शाता है। इसका विस्तृत विवरण ***तालिका 2.14*** में दिया गया है।

तालिका 2.14: परिसंपत्तियों के निर्माण के बिना किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ में)		कुल व्यय (₹ में)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
1	बी.पी.एल. प्लॉट से डब्ल्यू.बी.एम. रास्ता और मिट्टी भराई का कार्य (ग्राम पंचायत-रेहना), नूंह ब्लॉक कार्य कोड: 1219006014/आरसी/1000044998	1,655	5,47,770	5,49,425	5
2	मवेशी शेड 15, ग्राम पंचायत-जैतका (कार्य कोड: 1219007029/आई.एफ./54800), ग्राम पंचायत-अकलमपुर, नूंह-नगीना ब्लॉक	0	6,56,500	6,56,500	7
3	मवेशी शेड 15, ग्राम पंचायत-जैतका (कार्य कोड: 1219007029/आई.एफ./54805), ग्राम पंचायत-अकलमपुर, नूंह-नगीना ब्लॉक	0	6,67,514	6,67,514	0
	कुल	**1,655**	**18,71,784**	**18,73,439**	**12**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली नरेगासॉफ्ट डेटा

कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि:

- क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्य इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक रास्ते के रूप में निर्मित पाया गया, जबकि मनरेगा के तहत इस कार्य को डब्ल्यू.बी.एम. रास्ते के रूप में स्वीकृत किया गया था।

- क्रम संख्या 2 और 3 पर दर्शाए गए 30 लाभार्थियों, जिनके लिए मवेशी शेड का निर्माण किया जाना था, का कोई अभिलेख या सूची उपलब्ध नहीं थी। इन कार्यों के लिए ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा 20 लाभार्थियों/श्रमिकों से संबंधित तीन मस्टर रोल जारी किए गए थे; हालांकि, स्थल पर इन 20 लाभार्थियों के लिए केवल एक ही मवेशी शेड निर्मित पाया गया।
- शेष 10 लाभार्थियों से संबंधित अभिलेखों का पता नहीं लगाया जा सका। अपेक्षित अभिलेख के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि शेष मवेशी शेड स्वीकृत स्थलों पर निर्मित किए गए थे या नहीं।

प्रतिउत्तर में, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूंह ने (दिसंबर 2025) यह बताया कि बी.पी.एल. प्लॉट में मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम. रास्ता का कार्य प्रगति पर दर्शाया गया था। हालांकि, यह कार्य पहले ही विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के तहत ₹ 5.51 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक रास्ते के रूप में पूर्ण किया जा चुका था। विभाग का यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अन्य योजना के तहत कार्य पूर्ण होने के बावजूद मनरेगा अभिलेख/प्रबंधन सूचना प्रणाली में इसे 'चालू' दर्शाया गया है। कार्यों का यह दोहराव एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

प्रतिउत्तर में, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगीना ने (दिसंबर 2025) बताया कि मवेशी शेड का कार्य प्रगति पर था, श्रमिकों द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध न कराने के कारण मजदूरी का भुगतान अस्वीकृत कर दिया गया था, बैंक खातों का विवरण भुगतान जारी करने हेतु एकत्र किया जा रहा था। हालांकि, तथ्य यह है कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान केवल एक मामले को छोड़कर, स्थलों पर कोई भी मवेशी शेड निर्मित नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, साढ़े तीन साल के अत्यधिक विलंब के बाद भी इन मवेशी शेडों का निर्माण नहीं किया गया था, जिससे योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

(ii) स्थल पर पूर्ण किए गए कार्य जिनमें रोजगार सृजन अपर्याप्त रहा

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पांच कार्य स्थल पर पूर्ण पाए गए, हालांकि कुल मिलाकर केवल 20 मानव दिवस ही सृजित किए गए थे। मजदूरी का भुगतान केवल ₹ 6,604 था, जबकि सामग्री पर ₹ 24.48 लाख का व्यय किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बावजूद, प्रबंधन सूचना प्रणाली में इन्हें चालू दर्शाया जा रहा था। उदाहरण के लिए, फकीरा बास तक ग्रामीण कनेक्टिविटी मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम पी.डब्ल्यू.डी. रोड (लंबाई: 1,420 फीट), ग्राम पंचायत-झिमरावट, ब्लॉक-पिनगवां (कार्य कोड: 1219007002/आर.सी./1000022697, ₹ 5.19 लाख) के कार्य में केवल एक मानव दिवस सृजित किया गया (फोटोग्राफ 2.11)। यह मशीनरी के संभावित उपयोग का संकेत देता है, जो मनरेगा के तहत प्रतिबंधित है। इसी प्रकार के अन्य कार्यों का विवरण ***तालिका 2.15*** में दिया गया है।

फोटोग्राफ 2.11: फकीरा बास तक ग्रामीण कनेक्टिविटी मिट्टी भराई और डब्ल्यूबीएम पीडब्ल्यूडी सड़क, ग्राम पंचायत-झिमरावट, ब्लॉक-पिनगवां

तालिका 2.15: अपर्याप्त रोजगार सृजन के साथ स्थल पर पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹)		कुल किया गया व्यय (₹)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
	1	2	3	4= (2+3)	5
1	जहरू के घर से नूर मोहम्मद के घर तक रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-रेहना) कार्य कोड: 1219006014/आर.सी./1000037913	1,655	5,00,016	5,01,671	5
2	बड़ी मस्जिद से युसूफ के घर तक रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-रेहना) कार्य कोड: 1219006014/आर.सी./1000044110	1,655	3,56,950	3,58,605	5
3	हसम के खेत से बुल्ला के खेत तक मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम. रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-शाहपुर नगली) कार्य कोड: 1219006001/आर.सी./1000044119	1,655	5,46,361	5,48,016	5
4	अख्तर के खेत से चंदेनी सीमा तक मिट्टी भराई और डब्ल्यूबीएम रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-शाहपुर नगली) कार्य कोड: 1219006001/आर.सी./1000044120	1,324	5,25,918	5,27,242	4
	कुल	**6,289**	**19,29,245**	**19,35,534**	**19**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट

प्रतिउत्तर में, नूंह और पिनगवां के ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने (दिसंबर 2025) यह बताया कि उपर्युक्त कार्य प्रगति पर थे, इसलिए माप पुस्तिकाओं में सामग्री की खपत की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। आगे, विभाग ने आश्वासन दिया कि कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपर्युक्त सभी पांचों कार्य स्थल पर पूर्ण पाए गए।

कार्यों की प्रकृति और पैमाने के अनुपात में मानव दिवस का अत्यधिक कम सृजन, श्रमिकों की अपर्याप्त भागीदारी को दर्शाता है और मशीनरी के संभावित उपयोग का संकेत देता है। यह ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के योजना के मुख्य उद्देश्य को विफल करता है।

(iii) कार्यों के निष्पादन के बावजूद मजदूरी का भुगतान न किया जाना

तावडू और नगीना ब्लॉकों में, स्थल पर 14 कार्य निष्पादित पाए गए जिन पर सामग्री मद में ₹ 77.22 लाख का व्यय किया गया था, अभिलेख के अनुसार, इन कार्यों पर 2,152 मानव दिवस सृजित किए गए थे, फिर भी जॉब कार्ड धारकों को कोई मजदूरी भुगतान नहीं की गई थी। सभी मस्टर रोल का भुगतान अस्वीकृत कर दिया गया था और श्रमिकों को मजदूरी वितरण के लिए निधि अंतरण आदेश को फिर से सृजित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे योजना के तहत समय पर मजदूरी भुगतान से वंचित होना पड़ा। इसका विस्तृत विवरण ***तालिका 2.16*** में दिया गया है।

तालिका 2.16: उन पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण जिनमें मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ में)		कुल किया गया व्यय (₹)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
1	गंदे नाले का निर्माण (फौजी के घर से गोहर वाली चौक तक) (कार्य कोड: 1219007033/एफ.पी./1000007624), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर (नगीना)	0	8,14,895	8,14,895	72
2	गंदे नाले का निर्माण (अप्पे खान के घर से सीता राम के घर तक) (कार्य कोड: 1219007033/एफ.पी./1000007626), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर (नगीना)	0	1,95,888	1,95,888	50
3	गंदे नाले का निर्माण (स्कूल के घर से तालाब तक) (कार्य कोड: 1219007033/ एफ.पी.//1000007628), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर (नगीना)	0	7,73,750	7,73,750	50
4	गंदे पानी के नाले का निर्माण (शौकत के घर से रघुबीर के घर तक) (कार्य कोड: 1219005008/एफ.पी./1000008272), ग्राम पंचायत-गुढ़ी (तावडू)	0	7,80,537	7,80,537	304
5	गंदे पानी के नाले का निर्माण (नंबरदार ढाणी से पुराने कब्रिस्तान तक) (कार्य कोड: 1219005008/एफ.पी./1000008273), ग्राम पंचायत-गुढ़ी (तावडू)	0	7,17,952	7,17,952	304

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ में)		कुल किया गया व्यय (₹)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
6	रास्ते का निर्माण (अख्तर के घर से फतेह के घर तक) (कार्य कोड: 1219005033/आर.सी./1000044992), ग्राम पंचायत-अंगो (तावडू)	0	7,43,093	7,43,093	240
7	रास्ते का निर्माण (फते से सरजू के खेत तक) (कार्य कोड: 1219005033/आर.सी./1000045843), ग्राम पंचायत-अंगो (तावडू)	0	7,71,737	7,71,737	240
8	नाला/सीवर लाइन का निर्माण (सैमसू से तालाब तक) (कार्य कोड: 1219005033/एफ.पी./1000008482), ग्राम पंचायत-अंगो (तावडू)	0	7,19,191	7,19,191	304
9	नाला/सीवर लाइन का निर्माण (मस्जिद से खदीजा के घर तक) (कार्य कोड: 1219005016/एफ.पी./1000008481), ग्राम पंचायत-शिकारपुर (तावडू)	0	7,68,960	7,68,960	288
10	रास्ते का निर्माण (मोलाना से कब्रिस्तान तक) (कार्य कोड: 1219005016/आर.सी./1000045481), ग्राम पंचायत-शिकारपुर (तावडू)	0	7,43,971	7,43,971	240
11	जैतूनी मवेशी शेड का निर्माण (कार्य कोड: 1219005025/आई.एफ./79468), ग्राम पंचायत-चीला (तावडू)	0	29,110	29,110	16
12	सिफायत खान मवेशी शेड (कार्य कोड: 1219005025/आई.एफ./79673), ग्राम पंचायत-चीला (तावडू)	0	27,297	27,297	15
13	मोहम्मद किफायत मवेशी शेड (कार्य कोड: 1219005025/IF/79674), ग्राम पंचायत-चीला (तावडू)	0	27,297	27,297	15
14	आई.बी.पी. रास्ता (शमशानघाट से उमर से रुस्तम तक) (कार्य कोड: 1219007033/आर.सी./1000036188), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर, ब्लॉक-नगीना	0	6,07,897	6,07,897	14
	कुल	**0**	**77,21,575**	**77,21,575**	**2,152**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन कार्यों को स्वीकृति देने वाले प्रस्ताव अभिलेख में नहीं मिले और मस्टर रोल पर न तो श्रमिकों के हस्ताक्षर थे और न ही ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी का प्रमाणन था, जो कार्यों के निष्पादन और प्रलेखन में गंभीर अनियमितताओं को दर्शाता है। अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में, कार्य निष्पादन की वास्तविकता और उससे संबंधित भुगतानों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका, जिससे दुर्विनियोजन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इसके उत्तर में, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (नूंह, नगीना, पिंगवां एवं तावडू) ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि उपर्युक्त कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा और लंबित मजदूरी का भुगतान निधि अंतरण आदेश के पुन: सृजन के बाद कर दिया जाएगा। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि तीन वर्ष से अधिक के अत्यधिक विलंब के बावजूद कार्य अभी भी अपूर्ण हैं और मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं किया गया है, जिससे योजना का मौलिक उद्देश्य ही विफल हो गया है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा के अंतर्गत ₹ 120.42 लाख का व्यय निष्फल रहा, जिसका कारण परिसंपत्तियों का सृजन न होना, नगण्य श्रम घटक के साथ कार्यों का निष्पादन, मानव दिवस सृजित होने के बावजूद मजदूरी का भुगतान न करना तथा प्रलेखन और निगरानी में गंभीर चूक होना था।

साढ़े तीन वर्षों से अधिक समय तक कार्यों का निरंतर लंबित रहना, विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों का दोहराव, उचित ग्राम पंचायत प्रस्तावों का अभाव और मस्टर रोल प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर न होना, मनरेगा के मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफलता का कारण बना।

2.20 ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना अभिसरण कार्य

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अध्याय 15 यह निर्धारित करता है कि अभिसरण के लिए चिह्नित की गई परियोजनाओं पर संबंधित ग्राम सभाओं में चर्चा किया जाना अनिवार्य है।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना-जांच किए गए सभी जिलों/ब्लॉकों में, अभिसरण कार्यों का निर्णय और चिन्हांकन जिला कार्यक्रम समन्वयकों/कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किया गया था और संबंधित ग्राम सभाओं में कोई चर्चा नहीं की गई थी। इस स्थिति में, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि ये कार्य वास्तविक रूप में अभिसरण कार्य थे या नहीं।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में उत्तर दिया कि रेखांकित बिंदुओं की पुन: जांच की जाएगी और संबंधित ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

2.21 कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान न करना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 7.12 श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं (चिकित्सा, पेयजल और शेड) का प्रावधान करता है। यदि किसी भी कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के साथ आने वाले छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पांच या उससे अधिक है, तो वहां एक शिशु गृह प्रदान करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यस्थल की इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय को प्रशासनिक व्यय के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कार्यस्थल पर सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई व्यय नहीं किया गया है, जो यह दर्शाता है कि नमूना-जांच के लिए चुने गए कार्यों में नियोजित श्रमिकों को ये सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी।

400 लाभार्थियों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि 56 (14 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कार्यस्थलों पर पेयजल की सुविधा को अपर्याप्त बताया। 285 (71.25 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 283 (70.75 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कार्यस्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न होने की बात कही और 35 (8.75 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि कार्यस्थलों पर शेड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

2.22 कार्यस्थल पर बिलों/वाउचरों का सत्यापन न किया जाना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 7.11.5 में यह प्रावधान है कि जब कोई कार्य प्रगति पर हो, तो उस कार्य में लगे श्रमिक अपने बीच से साप्ताहिक रोटेशन के आधार पर कम से कम पांच श्रमिकों का चयन करेंगे, जो सप्ताह में कम से कम एक बार अपने कार्यस्थल के सभी बिलों/वाउचरों को सत्यापित और प्रमाणित करेंगे।

चयनित 280 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि कार्य की प्रगति के दौरान, उपर्युक्त परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी बिल/वाउचर, इस प्रमाणीकरण/सत्यापन प्रक्रिया हेतु नियोजित एवं चयनित श्रमिकों द्वारा प्रमाणित/सत्यापित नहीं पाए गए। इस प्रकार,

नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य पर लगे श्रमिकों द्वारा बिलों/वाउचरों के सत्यापन/प्रमाणीकरण के पहलू को क्रियान्वित नहीं किया गया था। श्रमिकों द्वारा बिलों और वाउचरों के सत्यापन/प्रमाणीकरण का अभाव, किए गए व्यय की पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि किया गया भुगतान कार्यस्थल पर निष्पादित वास्तविक कार्य को दर्शाता है।

निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली

मनरेगा के कार्यान्वयन में शामिल भारी निधियां और राज्य की 6,246 ग्राम पंचायतों[20] में इसके व्यापक प्रसार के दृष्टिगत, योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः योजना के लिए एक सुदृढ़ और कुशल निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा तंत्र का होना अनिवार्य था। इस पहलू से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा नीचे दी गई है:

2.23 राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत राज्य स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा के उद्देश्य से राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन का प्रावधान है। हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन (अप्रैल 2008) राज्य सरकार को योजना से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देने, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करने और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.11.2 एवं 13.11.3 यह अधिदेश करते हैं कि राज्य रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा के परिणामों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इस वार्षिक रिपोर्ट को आगामी वर्ष की 31 दिसंबर तक राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाना चाहिए।

वर्ष 2019-24 के दौरान, राज्य में योजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की केवल एक बैठक 21 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने दिसंबर 2024 तक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने हेतु कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की। इस प्रकार, उच्च स्तर पर योजना की परिकल्पित निगरानी और संचालन केवल एक औपचारिक अभ्यास बनकर रह गया, जिससे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही कम हो गई।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितंबर 2025) कि इस मामले को हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की आगामी बैठक में उठाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

2.24 शिकायत निवारण प्रणाली की विद्यमानता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.14.1 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु राज्य में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को मनरेगा के कार्यान्वयन से

[20] मार्च 2024

संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना भी अपेक्षित था।

लोकपाल की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली में कमियों तथा प्राप्त शिकायतों की स्थिति और उनके निपटान की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

2.24.1 लोकपाल की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.14 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु सभी जिलों में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करेगी। आवश्यकता के आधार पर, प्रारंभ में दो जिलों के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जा सकता है। लोकपाल के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- मुख्य सचिव और मनरेगा के प्रभारी सचिव को मासिक, वार्षिक रिपोर्ट और पारित किए गए आवंटनों की सूची भेजना।
- दोषी मनरेगा कार्मिकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को रेखांकित करना।
- लोकपाल द्वारा निपटाए गए मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेजी जाएगी और यह परिषद द्वारा तैयार की जाने वाली उस वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा होगी जिसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाना है।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2024) से यह ज्ञात हुआ कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा लोकपालों (2021 में 3 और 2022 में 14) की नियुक्ति की गई थी, तथापि, 2019-24 के दौरान निपटाए गए मामलों की कोई सारांश रिपोर्ट हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद को नहीं भेजी गई थी। वर्ष 2019-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा किसी भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मेवात जिले में वर्ष 2022-24 के दौरान निपटान हेतु लोकपाल को 191 शिकायत मामले भेजे गए थे। इन 191 मामलों में से, उक्त अवधि के दौरान लोकपाल द्वारा 84 आवंटन पारित किए गए। लोकपाल द्वारा 16 शिकायत मामलों के संबंध में ₹ 42.78 लाख के वसूली आदेश पारित किए गए हैं। आठ शिकायत मामलों में ₹ 21.86 लाख की राशि वसूल की जानी अभी बाकी थी (सितंबर 2024)।

उत्तर में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसंबर 2024, सितंबर 2025) कि कोई सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी क्योंकि हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक बुलाने का मामला विचाराधीन है।

2.24.2 शिकायतों का निपटान

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 10.3.9 के साथ पठित, धारा 23(6), यह प्रावधान करती है कि कार्यक्रम अधिकारी विवाद और शिकायतों का निपटान उनकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर करेगा तथा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत रजिस्टर के रखरखाव को अनिवार्य बनाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए सभी जिलों के साथ-साथ ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी शिकायत रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। शिकायत रजिस्टर के अभाव में, लेखापरीक्षा प्रत्येक स्तर पर शिकायतों की स्थिति को सत्यापित नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा (जून-दिसंबर 2024) द्वारा इंगित किए जाने पर, संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने योजना के शिकायत रजिस्टर के रखरखाव का आश्वासन दिया।

2.25 सतर्कता प्रकोष्ठ और राज्य/जिला गुणवत्ता मॉनीटरों का गठन न किया जाना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.6.2, 13.6.3 एवं 13.6.4 यह प्रावधान करते हैं कि राज्य स्तर पर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक सतर्कता प्रकोष्ठ, जिला स्तर पर जिला स्तरीय प्राधिकरण के अधीन जिला सतर्कता प्रकोष्ठ और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद एक सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2024) से यह ज्ञात हुआ कि 2019-2024 के दौरान किसी भी स्तर पर कोई सतर्कता प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया है। कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विभिन्न कमियों (जैसा कि अनुच्छेद 2.20 में चर्चा की गई है) को रोकने/पकड़ने के लिए 2019-24 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ का समय पर गठन महत्वपूर्ण था।

वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2019-20 का अनुच्छेद 7.12.1, 10-15 सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंताओं को मिलाकर राज्य गुणवत्ता मॉनिटर और जिला गुणवत्ता मॉनिटर प्रकोष्ठों के गठन का आदेश देता है, ताकि निर्माण के दौरान और बाद में कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी की जा सके और इसकी रिपोर्ट नरेगासॉफ्ट पर अपलोड की जा सके।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान न तो किसी राज्य गुणवत्ता मॉनिटर या जिला गुणवत्ता मॉनिटर की नियुक्ति की गई, और न ही विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति शुरू करने या सुगम बनाने के लिए कोई दस्तावेजी प्रयास किए गए।

उत्तर में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसंबर 2024, सितंबर 2025) कि सतर्कता प्रकोष्ठ और राज्य गुणवत्ता मॉनिटर/जिला गुणवत्ता मॉनिटर का गठन किया जाएगा और इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दे दी जाएगी।

2.26 सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा की एक अभिनव विशेषता यह है कि इसने निरंतर सार्वजनिक सतर्कता के माध्यम से 'सामाजिक लेखापरीक्षा' को संस्थागत रूप दिया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लेखापरीक्षा में सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमियां पाई गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

2.26.1 सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.1.1 एवं 13.2.3 यह प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में छ: महीने में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई वर्ष के आरंभ में एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगी, जिसे सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को भी भेजा जाएगा। सामाजिक लेखापरीक्षा पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

राज्य में 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में पाई गई कमियों का विवरण ***तालिका 2.17*** में दिया गया है।

तालिका 2.17: सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमी

वर्ष	कुल ग्राम पंचायतें	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा (ग्राम पंचायतों की संख्या)	प्रतिशतता में कमी
2019-20	6,334	4,038	36
2020-21	6,321	4,559	28
2021-22	6,259	5,316	15
2022-23	6,253	5,001	20
2023-24	6,246	4,450	29

स्रोत: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

इस प्रकार, 15 से 36 प्रतिशत ग्राम पंचायतें बिना लेखापरीक्षा रह गई।

चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच (जून-दिसंबर 2024) ने भी वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के कवरेज में आई कमी की पुष्टि की, जैसा कि ***तालिका 2.18*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 2.18: वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	नमूना हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष में एक बार पूर्ण की गई सामाजिक लेखापरीक्षा (ग्राम पंचायतों की संख्या)	वर्ष में एक बार भी आयोजित नहीं की गई सामाजिक लेखापरीक्षा (ग्राम पंचायतों की संख्या)
2019-20	40	37	3
2020-21	40	39	1
2021-22	40	40	0
2022-23	40	39	1
2023-24	40	37	3
कुल	**200**	**192**	**8**

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आठ ग्राम पंचायतों में वर्ष में एक बार भी सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि वार्षिक मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार ग्राम निगरानी समिति/अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों द्वारा कार्यों की समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष 2019-24 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों की पुष्टि की और बताया (सितंबर 2025) कि कार्यबल की कमी और निधियों के अभाव के कारण भी सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई थी।

2.26.2 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई में कार्यबल की कमी

निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के तहत मुख्यालय में विभिन्न श्रेणियों के कुल 11 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध केवल तीन कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि जिला/ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत 165 पदों के विरुद्ध कोई भी पद नहीं भरा गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता में इस कमी के कारण ग्राम पंचायतों की अपेक्षित सामाजिक लेखापरीक्षा में गिरावट आई, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई और अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा सका।

इसके उत्तर में, निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने सूचित किया (दिसंबर 2024) कि खंड संसाधन व्यक्ति के 143 रिक्त पदों, जिला संसाधन व्यक्ति के 11 पदों और सामाजिक लेखापरीक्षा विशेषज्ञ के चार पदों के पैनल बनाने/भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि डीईओ-सह-लिपिक के शेष 11 पदों को निधियों/सहायता अनुदान की उपलब्धता के अनुसार भरा जाएगा।

2.26.3 सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के बकाया मामले

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.4.2 में प्रावधान है कि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने जून 2024 तक 2019-24 के दौरान पूरे राज्य के लिए 14,468 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई थी, लेकिन केवल 117 सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। राज्य स्तर पर उठाई गई और निपटाई गई सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति ***तालिका 2.19*** में दी गई है।

तालिका 2.19: सामाजिक लेखापरीक्षा की बकाया अभ्युक्तियों की स्थिति

वर्ष	उठाई गई सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	निपटाई गई सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	बकाया सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	प्रतिशत
2019-20	15	0	15	100
2020-21	5,598	117	5,481	98
2021-22	6,183	0	6,183	100
2022-23	2,672	0	2,672	100
कुल	**14,468**	**117**	**14,351**	**99**

स्रोत: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

सुधारात्मक उपायों के अभाव में 98 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की 461 अभ्युक्तियां (100 प्रतिशत) बकाया थी।

इसके उत्तर में, निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने बताया (दिसंबर 2024, सितंबर 2025) कि आयुक्त, मनरेगा ने सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अभ्युक्तियां भेज दी हैं। कुछ मामलों में, वसूली की जा चुकी है और इसका विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि (नवंबर 2025) तक उक्त विवरण अभी भी प्रतीक्षित था।

2.26.4 लंबित देयताएं

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि एक पृथक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना (2019) के पश्चात से, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के दौरान हरियाणा की इस इकाई को अनुदान जारी किए हैं। वर्ष 2019-20 और 2022-23 में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को कोई अनुदान नहीं दिया गया था, जिसका विवरण ***तालिका 2.20*** में दिया गया है।

तालिका 2.20: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को प्राप्त अनुदान, व्यय एवं लंबित देयताओं का विवरण

वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष में एक बार आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा	प्रति ग्राम पंचायत व्यय	ग्राम संसाधन व्यक्ति मानदेय का कुल व्यय (प्रति वर्ष)	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई कर्मचारियों का वेतन व्यय	वेतन और मानदेय का कुल व्यय	ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	मार्च 2024 तक लंबित देयताएं
			(₹ में)	(₹ लाख में)				
2019-20	6,334	4,038	3,000	121.14	4.50	125.64	0	125.64
2020-21	6,321	4,559	3,000	136.77	19.00	155.77	75.17	80.60
2021-22	6,259	5,316	3,000	159.48	19.00	178.48	105.48	73.00
2022-23	6,253	5,001	3,000	150.03	19.00	169.03	0	169.03
2023-24	6,246	4,450	3,500	155.75	21.00	176.75	115.76	60.99
			कुल	**723.17**	**82.50**	**805.67**	**296.41**	**509.26**

स्रोत: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा के पास अपने स्वयं के कर्मचारियों और ग्राम संसाधन व्यक्तियों के मानदेय के भुगतान के लिए ₹ 509.26 लाख की देयता लंबित थी, जबकि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पिछले वर्षों में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए इस इकाई को केवल ₹ 296.41 लाख का अनुदान जारी किया है।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (सितंबर 2025) कि लंबित देयताओं का निपटान राज्य सरकार के बजट, अर्थात हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से किया जाएगा।

2.27 अनिवार्य अभिलेख और उनका रखरखाव

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 का अनुच्छेद 10.7, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सात रजिस्टरों[21] के रूप में अनिवार्य अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट करता है। रजिस्टरों के ये प्रारूप फील्ड स्तर के कर्मियों के कामकाज को आसान बनाने और सूचना की गुणवत्ता, विशेष रूप से श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित जानकारी से समझौता किए बिना कार्य के दोहराव को कम करने की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। रजिस्टर II, III और V का रखरखाव मैन्युअल रूप से किया जाना है और रजिस्टर I, IV, VI एवं VII का रखरखाव सूचना प्रबंधन प्रणाली से ही किया जा सकता है। चयनित 10 ब्लॉकों के अभिलेखों की जांच (जून 2024 से दिसंबर 2024)

[21] I-जॉब कार्ड रजिस्टर (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना) और परिवार रोजगार रिपोर्ट; II-ग्राम सभा रजिस्टर; III-कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर; IV-कार्य रजिस्टर; V-अचल संपत्ति रजिस्टर; VI-शिकायत रजिस्टर; और VII-सामग्री रजिस्टर।

से ज्ञात हुआ कि चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा इन रजिस्टरों का या तो रखरखाव नहीं किया था या केवल आंशिक रूप से रखरखाव किया था।

2.28 निष्कर्ष

विकास योजनाएं और जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी, चयनित ग्राम पंचायतें केवल ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी को कार्यों की सूची प्रस्तुत कर रही थी। कार्यों को जोड़ने और हटाने का कार्य ग्राम पंचायतों की किसी भी भागीदारी के बिना ब्लॉक स्तर पर किया गया था। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि चयनित जिलों में कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की गई थी, फिर भी 43 प्रतिशत और 31 प्रतिशत लाभार्थी क्रमशः मजदूरी की पात्रता और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के बारे में जागरूक नहीं थे।

राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब के मामले सामने आए। 34 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 120 कार्यों से संबंधित 794 मस्टर रोल के लिए ₹ 2.69 करोड़ की मजदूरी का भुगतान एक से 552 दिनों के विलंब के साथ किया गया। पात्र परिवारों के पंजीकरण के संबंध में अपेक्षित अभिलेख जैसे आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर आदि, नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में संधारित नहीं पाए गए।

हिसार को छोड़कर चयनित जिलों में वर्ष 2019-2024 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की प्राप्ति में 2.05 लाख से 21.07 लाख के मध्य की कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त, 100 दिन या उससे अधिक का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार केवल एक से तीन प्रतिशत थे, जबकि 68 से 79 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से भी कम का रोजगार मिला। योजना के तहत स्वीकृत 50 प्रतिशत से अधिक कार्य सितंबर 2024 तक शुरू नहीं किए गए हैं, जो योजना और कार्यों की सूची के चयन में कमियों को दर्शाता है।

नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटा के विश्लेषण और मेवात जिले के चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के लिए चयनित 22 चालू कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से परिसंपत्तियों का सृजन न होने, नगण्य श्रम घटक के साथ कार्यों के निष्पादन, मानव दिवस सृजित होने के बावजूद मजदूरी का भुगतान न करने और कार्यों के दस्तावेजीकरण में कमियों के मामले सामने आए हैं।

राज्य रोजगार गारंटी परिषद के उच्च स्तर पर योजना की परिकल्पना के अनुसार निगरानी और संचालन निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया कार्यबल बहुत निराशाजनक था, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर 100 प्रतिशत रिक्तियां थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई गई अभ्युक्तियों के निपटान के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, परिकल्पित निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र योजना के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं था।

2.29 सिफारिशें

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे:

1. ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर श्रम बजट तैयार करने में नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण को अपनाया जाए और आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, कार्य मांग रजिस्टर/मजदूरी भुगतान रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि जैसे अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।
2. दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य निष्पादन की निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि समय पर मजदूरी का भुगतान, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
3. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को गति दी जाए क्योंकि मनरेगा के एक मांग-आधारित कार्यक्रम होने के नाते, यह अपेक्षित है कि लाभार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।
4. जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त कार्यबल की तैनाती करके, वैधानिक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर, मनरेगा परिसंपत्तियों की पूर्णता के पश्चात मूल्यांकन को सुदृढ़ किया जाए।